भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2335
09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि विपणन अवसंरचना

2335. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री विजय कुमार दुबे:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री जी. सेल्वम:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करने हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी उप-योजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो इसके संघटकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत अजा/अजजा बहुल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करने में सक्षम है;

(ग) अब तक कुल कितने ग्रामीण गोदाम बनाए गए हैं और विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त भंडारण क्षमता को बढ़ा पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी सब्सिडी जारी गई है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि उद्योग के लिए और अधिक भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी, हां। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए देश भर में समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" को लागू कर रहा है। 12वीं योजना के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की दो चालू योजना नामत: (i) 01.04.2001 से कार्यान्वित ग्रामीण भंडार योजना (जीबीवाई) और (ii) 20.10.2004 से कार्यान्वित कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण विकास/ सुदृढ़ीकरण योजना (एएमआईजीएस) को 01.04.2014 से एएमआई में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के तहत दो घटक हैं- (i) भंडारण अवसंरचना (ii) भंडारण के अतिरिक्त विपणन अवसंरचना। यह एक मांग वाहित, ऋण संबद्ध योजना है जबकि पार्श्वांत पूंजी सब्सिडी लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से उपलब्ध है। सहायता वैयक्तिक किसानों, किसानों के समूह/उगाने वालों, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत किसान उपज संगठनों (एफपीओ), सहकारी एवं राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है।

(ख): जी, हां। एएमआई योजना के तहत सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल हैं सहित देश में संबद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा दे रही है।

(ग): इस योजना की शुरूआत के बाद से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 10,524 परियोजना सहित देश में कुल 39,928 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं (गोदामों) को सहायता दी गई है। योजना के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में सहकारिता के माध्यम से कुल 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(घ): जी, हां। वर्ष 2001 में ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) की शुरुआत के बाद से, अब तक योजना के तहत कुल 68.20 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण क्षमता को सहायता प्रदान की गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध- I** पर है।

(ड.): कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सहित विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना की भंडारण क्षमता के लिए जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(च): एएमआई योजना के अलावा, सरकार फ़सलोपरान्त प्रबंधन, वेयरहाउस, शीत भंडारण, सिलोस, ई-विपणन जैसे समुदाय कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ब्याज छूट और परियोजनाओं हेतु ऋण गारंटी के संबंध में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है

सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) योजना के तहत भंडारण सुविधाओं को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्रीय वेयरहाउस निगम (सीडब्ल्यूसी) आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद उद्देश्य और कृषि उद्योग के लिए अधिक भंडारण सुविधाओं का भी निर्माण की है।

अनुबंध- I

पूर्ववर्ती ग्रामीण भंडारण योजना (जीबीवाई) सहित कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के तहत सहायता प्रदान की गई भंडारण क्षमता का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	भंडारण क्षमता (लाख एमटी में)
1.	आंध्र प्रदेश	1403	56.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.01
3.	असम	333	10.23
4.	बिहार	1069	6.63
5.	छत्तीसगढ	597	19.46
6.	गोवा	1	0.00
7.	गुजरात	11904	48.37
8.	हरियाणा	2047	66.79
9.	हिमाचल प्रदेश	87	0.27
10.	जम्मू और कश्मीर	14	0.83
11.	झारखंड	33	1.73
12.	कर्नाटक	4646	39.10
13.	केरल	206	0.91
14.	मध्य प्रदेश	4089	116.52
15.	महाराष्ट्र	3625	68.07
16.	मेघालय	16	0.21
17.	मिजोरम	1	0.003
18.	नागालैंड	1	0.01
19.	ओडिशा	691	10.09
20.	पंजाब	1750	67.63
21.	राजस्थान	1509	28.79
22.	तमिलनाडु	1129	14.09
23.	तेलंगाना	797	47.77
24.	त्रिपुरा	5	0.29
25.	उत्तर प्रदेश	1124	53.40
26.	उत्तराखंड	288	7.77
27.	पश्चिम बंगाल	2562	16.09
कुल		**39928**	**681.99**

अनुबंध- II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के भंडारण घटक के लिए जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार विवरण

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		जारी की गई कुल सब्सिडी	जारी की गई कुल सब्सिडी	जारी की गई कुल सब्सिडी	जारी की गई कुल सब्सिडी
1.	आंध्र प्रदेश	1262.78	1873.46	1415.08	543.02
2.	असम	1938.87	767.65	82.97	516.89
3.	बिहार	33.58	98.42	295.01	314.23
4.	छत्तीसगढ	903.74	1111.81	5.10	10.64
5.	गोवा	0.04	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	4326.68	85.20	589.00	1423.51
7.	हरियाणा	6276.25	678.65	1001.24	448.91
8.	हिमाचल प्रदेश	27.38	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	125.82	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	175.90	118.48	37.50	0.00
11.	कर्नाटक	1975.28	28.26	681.51	82.02
12.	केरल	129.55	0.73	2.14	2.28
13.	मध्य प्रदेश	11309.20	841.89	2014.26	3459.10
14.	महाराष्ट्र	5344.50	1815.51	1386.89	162.36
15.	मेघालय	2.87	0.00	0.01	0.00
16.	नागालैंड	0.83	0.00	1.61	0.00
17.	ओडिशा	955.51	245.39	90.51	0.00
18.	पंजाब	1244.53	1.27	42.19	101.18
19.	राजस्थान	110.87	508.25	420.94	546.35
20.	तमिलनाडु	571.47	7.34	0.00	10.23
21.	तेलंगाना	2571.73	687.94	359.14	601.35
22.	त्रिपुरा	20.05	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	969.31	14.00	161.06	9.30
24.	उत्तराखंड	230.45	0.00	50.72	18.40
25.	पश्चिम बंगाल	451.49	0.00	24.49	106.89
	कुल	**40958.68**	**8884.25**	**8661.37**	**8356.66**

*****